(9)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 259/2022

रामोतार मीणा, ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो0न0 9983644723

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (तहसीलदार) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 03.08.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 259/2022 पर दिनांक 22.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/3669–70 दिनांक 22.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1749 दिनांक 02.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री रामोतार मीणा, ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नपति के संबंध मे राजस्व विभाग की नियमावली के अनुसार भूमि सीमांकन के संबंध मे सूचना चाही गई थी। राजस्व विभाग के लैण्ड रिकाड (रूल्स 1957) के नियम 34 की प्रमाणित प्रति आवेदक को इस कार्यालय के पत्र कमांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1962 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1749 दिनांक 02.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री रामोतार मीणा, ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नपति के संबंध मे राजस्व विभाग की नियमावली के अनुसार भूमि सीमांकन के संबंध मे सूचना चाही गई थी। राजस्व विभाग के लैण्ड रिकाड (रूल्स 1957) के नियम 34 की प्रमाणित प्रति आवेदक को उनके कार्यालय के पत्र कमांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1962 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं